small arms survey

भारत सशस्त्र हिंसा आकलन

विषय विवरण

अंक 2 ■ सितंबर 2011

मैपिंग मर्डर

भारत में घातक बंदूकों का भूगोल

तकरीबन 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी और 33 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत में दुनिया की आबादी के करीब 17 फीसदी लोग बसते हैं जबकि यहां का क्षेत्रफल पूरे विश्व का सिर्फ 2.4 फीसदी हिस्सा ही है (गृह मंत्रालय, 2011)। भारत में हिंसा की दर हर राज्य में अलग–अलग है, कहीं बहुत ऊंची तो कहीं नहीं के बराबर। भाषा, शिक्षा दर, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक रीति–रिवाजों की तरह ही ये दरें भी विभिन्नता दर्शाती हैं।

ये विषय विवरण बंदूकों से होनेवाले अपराधों का विश्लेषण करता है। इसमें मुख्य रूप से बंदूकों की गोली से हर साल मरनेवाले लोगों पर ध्यान दिया गया है, जो इस समस्या का सबसे गहराई से विवेचन करता है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए देश के 28 राज्यों और सात केन्द्र शासित राज्यों के साथ –साथ 35 महानगरों (दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर) आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है (चित्र 1 देखें)।

इनके मुख्य नतीजे निम्नलिखित हैं:

- पूरी दुनिया में मौजूद 65 करोड़ बंदूकों में से करीब 4 करोड़ बंदूक भारत में मौजूद है। इनमें सिर्फ 15 प्रतिशत यानि 63 लाख बंदूक ही लाइसेंसी हैं।
- 1999 से 2008 तक बंदूकों से होनेवाली आत्महत्या समेत मौत की दर्ज घटनाएं गिरकर आधी हुई हैं। 1999 में ये संख्या जहां 12,147 थी वहीं 2008 में ये संख्या 6,219 थी।
- 2008 में बंदूकों से कुल 4,101 हत्याएं हुईं, जो उस साल देश में हुई 33,727 हत्याओं का 12.2 प्रतिशत थी।
- बंदूकों से होनेवाली हत्याओं की दर में आनेवाली कमी पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इस दौरान बाकी हिंसक अपराधों के मुकाबले बंदूकों से होनेवाली हत्याओं की संख्या कम रही।
- किसी एक साल में गैरलाइसेंसी बंदूकों से होनेवाली हत्याओं की संख्या कुल हत्याओं का 86 से 92 प्रतिशत थीं।
- 2008 में सिर्फ तीन राज्यों – बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश – में बंदूकों से होनेवाली हत्याएं देश की कुल हत्याओं का दो–तिहाई (62.4 प्रतिशत) हिस्सा थीं।
- पूरे देश में हत्या और बंदूकों से होनेवाली हत्या के दर समान नहीं हैं, बल्कि कहीं–कहीं ये दर बहुत ऊंची है। क्यों कुछ शहरों में इस दर में गिरावट आई, कहीं ये दर एक–सा रहा तो कहीं तेजी से बढ़ा, ये आगे की शोध के लिए जरूरी सवाल है।
- शहरों और क्षेत्रों में ऑटोप्सी की दरें अलग–अलग होती हैं, उसी तरह बंदूक की गोलियों के शिकार लोगों पर की गई ऑटोप्सी के अनुपात भी अलग–अलग होते हैं।
- ऑटोप्सी आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के बंदूकों से होनेवाली मौतों के आंकड़ों के अनुरूप है।
- आधिकारिक आंकड़ों में अनिश्चितता का एक बड़ा स्रोत बंदूकों की गोली से होनेवाली दुर्घटना में हुई मौत है।

दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले में भारत में बंदूकों से होनेवाली मौत की दर बहुत

जम्मू के पास बंदूक की एक फैक्ट्री

© एपी फोटो/चन्नी आनंद

मानचित्र 1 **बंदूकों से होनेवाली मौतः महानगर सबसे अधिक और कम खतरनाक, 2008**

नोटः तालिका 7 तौर तालिका 8 देखें

ऊंची नहीं है। 2008 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रति एक लाख आबादी पर 0.36 की राष्ट्रीय बंदूक हत्या दर रिपोर्ट की थी (एनसीआरबी, 2009ए, पृ. 60)। अमेरिका में बंदूक से होनेवाली हत्याओं के करीब एक–दहाई हिस्से के बराबर भारत की बंदूक हत्या दर की तुलना दरअसल यूरोप से की जा सकती है (गन पॉलिसी, एन.डी)। लेकिन भारत के राष्ट्रीय आंकड़े राज्यों और शहरों में चरम विभिन्नता दर्शाते हैं। भारत में कोई ऐसी जगह नहीं – यहां तक की संघर्षरत क्षेत्रों में भी नहीं – जहां दुनिया के सबसे हिंसा प्रभावित इलाकों जितनी हिंसा हो, लेकिन सच ये है कि देश के कुछ हिस्सों में स्थिति बाकी जगहों से बहुत खराब है।

ये आकलन मूलतः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों पर निर्भर करता है। एनसीआरबी भारतीय पुलिस एजेंसी है जो देशभर के अपराध के आंकड़े एकत्रित करती है। एनसीआरबी के आंकड़े भारत में अपराध के आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन कई बार इसकी संगतता और विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं (बॉक्स 1 देखें)। 2001 के बाद एनसीआरबी ने 35 महानगरों के बंदूक से होनेवाली मौत के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हैं। भारत सशस्त्र हिंसा आकलन को इन महानगरों से संबंधी ताजा आंकड़े प्रकाशन के लिए उपलब्ध कराए गए।

ये समीक्षा किसी क्षेत्र या शहरों के आंकड़ों के अंतर के कारणों की विवेचना नहीं कर रही। बल्कि इस आकलन का मकसद वैसे इलाकों पर ध्यान केन्द्रित करना है जहां हिंसा की कम दर से कुछ सकारात्मक सीख ली जा सकती है, और उन इलाकों में, जहां ये समस्या गंभीर है, कोई प्रभावी पहल किया जा सकता है।

ये विषय विवरण बंदूक से होनेवाली हत्याओं की समस्या की विवेचना करता है। भारत में हत्या को कानूनी तौर पर 'होमिसाइड (नरहत्या)' से अलग रखकर देखा जाता है, जिसमें भारतीय कानून के तहत दुर्घटना में होनेवाली मौत भी शामिल है। इसलिए, इस विषय विवरण में बंदूक से होनेवाली हत्याएं भारत में दुर्घटना में होनेवाली मौत, हत्या, या आत्महत्या के तौर पर बांटी गईं हैं।

2008 में बंदूक से होनेवाली हत्या की वस्तुस्थिति

2008 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 4,101 हत्याएं बंदूकों से हुईं, जो उस साल हुई कुल 33,727 हत्याओं का 12.2 प्रतिशत था (एनसीआरबी, 2009ए, पृ. 195)। बंदूक से मरनेवाले लोगों की कुल संख्या 6,219 थी, जिनमें आत्महत्याएं और दुर्घटनाओं में होनेवाली मौत शामिल है। बंदूक से होनेवाली मौतों में सबसे बड़ा हिस्सा (66 प्रतिशत) हत्याओं का था। बाकी 34 प्रतिशत बंदूक से होनेवाली मौत आत्महत्याएं और दुर्घटना में होनेवाली मौत थी (देखें तालिका 1)। कुछ क्रिमिनॉलोजिस्ट और एपिडेमियॉलोजिस्टों ने एनसीआरबी के आंकड़ों पर असहमति जताई है, जिससे इन आंकड़ों को निष्कर्ष नहीं माना जा सकता (देखें बॉक्स 1)।

भारत में बंदूक से होनेवाली हत्याएं ज्यादातर गैरलाइसेंसी बंदूकों से हुई हैं। एनसीआरबी के अनुसार सिर्फ 14 प्रतिशत लोगों की हत्याएं लाइसेंसी बंदूकों से हुईं (एनसीआरबी, 2009ए, पृ. 340, तालिका 2)। वैसे इस आंकड़े की सत्यता बहस का विषय है, आम अनुपात मीडिया की रिपोर्टों से करीब–करीब मिलता–जुलता है। लाइसेंसी बंदूकों के विपरीत गैर–लाइसेंसी बंदूक हाथ से बनाए गए होते हैं और उनसे एक ही शॉट दागा जा सकता है, हमलावर इस्तेमाल के बाद उन्हें बिना किसी अधिक नुकसान के आसानी से फेंक सकता है। बैलिस्टिक फिंगरप्रिंटिंग द्वारा इनका इस्तेमाल करनेवालों का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। इन्हीं वजहों से गैरलाइसेंसी बंदूक आपराधिक इस्तेमाल के लिए सबसे बेहतर माने जाते हैं।

2006 में दुनियाभर में मौजूद करीब 65 करोड़ बंदूकों में से भारत में तकरीबन चार करोड़ असैनिक बंदूकें थीं (डेली टाइम्स, 2006ए स्मॉल आर्म्स सर्वे, 2007)। इन 4 करोड़ बंदूकों में से करीब 63 लाख ही लाइसेंसी हैं (हरिहरन, 2007)। इस अनुमान से वैध,

तालिका 1 भारत में बंदूकों से होने वाली मौतों की संख्या, 2008

स्रोतः एनसीआरबी (2009ए)

बंदूकों से होने वाली मौत						बंदूक से होने वाली कुल मौतें	कुल हत्याएं	बंदूकों से हुई हत्याएं
आत्महत्याएं		हत्याएं		दुर्घटनाएं				
संख्या	बंदूकों से होने वाली मौतों का प्रतिशत	संख्या	बंदूकों से होने वाली मौतों का प्रतिशत	संख्या	बंदूकों से होने वाली मौतों का प्रतिशत			
479	7.7%	4,101	66.0%	1,639	26.3%	6,219	33,727	12.2%

तालिका 2 लाइसेंसी और गैरलाइसेंसी बंदूकों से होने वाली हत्याएं, 2008

स्रोतः एनसीआरबी (2009ए, पृ. 340)

बंदूकों के कुल शिकार	लाइसेंसी बंदूकों से मारे गए लोग		गैर लाइसेंसी बंदूकों से मारे गए लोग	
	संख्या	बंदूकों के शिकार लोगों की संख्या का प्रतिशत	संख्या	बंदूकों के शिकार लोगों की संख्या का प्रतिशत
4,101	574	14%	3,527	86%

बॉक्स 1 आधिकारिक आंकड़ों को लेकर चिंताएं

हत्या और बंदूकों से होनेवाले अपराधों पर आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, जो गृह मंत्रालय का अंग है। एनसीआरबी राज्य सरकारों के अपराधों के रिकॉर्ड पर निर्भर है, इसके सुव्यवस्थित आंकड़े तुलनात्मक विश्लेषण के लिए सबसे उत्तम हैं। लेकिन क्राइम रिपोर्टों और राज्य की पुलिस द्वारा जमा की गई जानकारियों पर इसकी निर्भरता की वजह से प्रतिष्ठित क्रिमिनॉलोजिस्ट ने इस आंकड़े की व्यापकता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। आमतौर पर ये मान लिया जाता है कि हत्या की रिपोर्टिंग बाकी अपराधों की तुलना में बेहतर तरीके से की जाती है, क्योंकि इसमें एक मृत शरीर की जांच होती है। जैसा कि विषय विवरण में जोर देकर कहा गया है, ऑटोप्सी रिपोर्ट होनेवाली हत्याओं के अनुपात में करीब–करीब उतने ही होते हैं। लेकिन एपिडेमियोलॉजिकल अध्ययन से ये पता चलता है कि घातक चोट और आत्महत्या, दोनों मामलों की भारत में अंडररिपोर्टिंग होती है (एडलस्टन और कॉनरैडसेन, 2007)।

दूसरे देशों के आंकड़ों से तुलना के बाद एक विश्लेषक ने निष्कर्ष निकाला कि भारत में होनेवाले अपराधों का एक–चौथाई हिस्सा ही रिपोर्ट होता है (चक्रवर्ती, 2003)। इसके भी सबूत हैं कि भारत में कई बार हिंसक अपराधों की भी अंडररिपोर्टिंग की जाती है। पुलिस अफसरों की कमी की वजह से देश में हत्याओं और बंदूकों से होनेवाले अपराधों को छुपा जाना आसान है। रिपोर्टों को दबाने में भ्रष्टाचार भी एक अहम भूमिका निभाता है (चक्रवर्ती, 2003)। ये तर्क दिया जाता रहा है कि भारतीय पुलिस के पास अपराध, खासतौर पर गंभीर अपराध, रिपोर्ट करने के लिए मजबूत सबब नहीं हैं (वर्मा, 2000)। एक दूसरी समस्या अंडररिपोर्टिंग है, खासतौर पर उन इलाकों में, जहां हत्याओं और आत्महत्याओं को दुर्घटना के तौर पर दर्ज करा दिए जाने की प्रवृत्ति है।

इस अनिश्चितता का आखिरी स्रोत राजनीतिक संघर्ष और उग्रवादी संघर्ष में मौत और जख्मों की रिपोर्टिंग है। हालांकि ये अस्पष्ट है कि इस तरह के आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़ों में जगह भी बना पाते हैं या नहीं। हो सकता है कि इन समस्याओं की वजह से भारत के विक्टिमॉलोजी सर्वे में रिकॉर्ड होनेवाली हत्यादर और बंदूक से होनेवाले अपराध की दरें ऊंची दर्ज हुई हों। (कार्प 2011)

अवैध और भारत के कुल असैनिक बंदूकों के मालिकाना हक का पता चलता है। वैसे तो ये अनुमान सीमित सबूतों पर टिके हैं, इसलिए इन्हें निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

गैरलाइसेंसी हथियार ना सिर्फ बहुत आम हैं, बल्कि पूर्णतः और व्यक्तिगत तौर पर घातक भी हैं। हालांकि, इस दावे की पुष्टि के लिए अतिरिक्त शोध की आवश्यकता है। बंदूकों से जुड़ी मौत और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये जरूरी है कि इन गैरलाइसेंसी बंदूकों को ही निशाना बना कर महात्वाकांक्षी प्रयास किए जाएं। उत्तर भारत और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गैरकानूनी बंदूक मिलते हैं। दिल्ली राजधानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में बनी हुई बंदूकें मिलती हैं जिन्हें कट्टों के नाम से जाना जाता है। एक सूत्र के मुताबिक दिल्ली में मौजूद गैरकानूनी बंदूकों की संख्या करीब 300,000 है (दीक्षित, 2009)।

सबसे अधिक और कम खतरनाक क्षेत्र

विभिन्न क्षेत्रों में बंदूकों से होनेवाली हत्याओं में अंतर किसी राष्ट्रीय रूझान को झूठा साबित करता है। 2008 में प्रति एक लाख की आबादी पर होनेवाली घटनाओं की गिनती के लिए साल के बीच में हुई जनगणना का अनुमान लगाया जाता है। तालिका 3 में वे सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के नाम हैं जहां बंदूकों से होनेवाली हत्याओं का उच्च दर देखने को मिलता है।

तालिका 3 में हत्या दर और बंदूक से होनेवाली हत्याओं के दर कहीं ऊंचे हैं (देखें तालिका 4)। इनमें से कुछ राज्यों के कुछ खास लक्षण हैं जिससे वहां की असाधारण बंदूक की समस्या की विवेचना की जा सके। वैसे सच ये भी है कि ये अकेला कारण नहीं। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड जैसे राज्यों का अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा होना भी एक पेचीदा कारण है जिससे तस्करी को बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में खासतौर पर नक्सल–माओवादी हिंसा का प्रभाव है, जबकि जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और नागालैंड अलगाववादी हिंसा की चपेट में हैं और बिहार में जाति से जुड़े संघर्ष होते रहे हैं।

2008 में उत्तर प्रदेश में उस साल सभी राज्यों से ज्यादा हत्याएं हुईं। इनकी कुल संख्या 4,564 थी जो पूरी देश में हुई हत्याओं का 14 प्रतिशत था। इन हत्याओं की वजहें अलग–अलग थीं। इस एक राज्य में ही पूरे देश में बंदूकों से होनेवाली हत्याओं के 36 प्रतिशत मामल मौजूद थे। बिहार में कुल 3,139 ऐसे मामले दर्ज हुए जो पूरे देश में हुई हत्याओं का 9.6 प्रतिशत थे। 2008 में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को मिलाकर पूरे देश में बंदूकों में हुई हत्याओं के 62.4 प्रतिशत शिकार मौजूद थे। जाहिर तौर पर इसकी वजह इन राज्यों में गैरकानूनी हथियारों की आसानी से उपलब्धता रही, लेकिन इससे यहां की राजनीतिक हिंसा, जाति संघर्षों और नक्सली हमलों की स्थिति का भी अंदाजा मिलता है, जहां बंदूकों का इस्तेमाल आम बात

तालिका 3 सबसे खतरनाक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश, 2008

स्रोतः एनसीआरबी (2009ए)

राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश	प्रति एक लाख की आबादी पर बंदूकों से होने वाली मौत	प्रति एक लाख की आबादी पर होने वाली कुल हत्याएं
मणिपुर	6.11	7.1
नागालैंड	5.24	6.5
झारखंड	1.73	5.6
जम्मू और कश्मीर	1.72	1.9
उत्तरप्रदेश	1.47	2.4
उत्तराखंड	1.11	2.3
अरुणाचल प्रदेश	0.91	6.0
बिहार	0.70	3.3
छत्तीसगढ़	0.70	4.9
दिल्ली	0.68	3.2

नोटः प्रति एक लाख की आबादी पर बंदूकों से होने वाली हत्याओं को दो अंकों में राउंड किया गया है

श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक घायल को अस्पताल ले जाते लोग, इस हमले में 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, अगस्त 2010. © एपी फोटो/डार यासिन

है।

इसके ठीक विपरीत, तालिका 4 में उन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं जहां भारत में बंदूकों से सबसे कम हत्याएं होती हैं। इन राज्यों में जहां हत्या की दरें भी औसत से बहुत कम हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर वहां बंदूकों से होनेवाली हत्याओं की दर भी कम ही देखी गई। कुछ राज्यों में बंदूकों से होनेवाली हत्या के ऊंचे दर के जो कारण अभी उन राज्यों के मामले में दिए गए, जहां बंदूकों से होनेवाली हत्याओं की दर ऊंची है, वे कारण इन निम्न हिंसा दर वाले राज्यों में कोई तुलनात्मक भूमिका नहीं निभाते। इनके दो अपवाद हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा (जहां हत्या की दर बहुत ऊंची है), जहां बंदूकों से होनेवाली हत्या के निम्न दर कई जिलों में मौजूद गहन नक्सली संघर्ष से भी जुड़े हैं। ये भी हो सकता है कि यहां छोटे हथियार आसानी से उपलब्ध नहीं, जिसकी वजह से इन राज्यों में बंदूकों से होनेवाली हत्याओं के दर पर काबू रखा जा सका है।

लेकिन बंदूकों की उपलब्धता ही कहानी का पूरा हिस्सा नहीं। केरल, पुडुचेरी, और तमिलनाडु में श्रीलंका की सीमा से करीब होने और दक्षिण भारत में बंदूकों का व्यापार होने के बावजूद बंदूकों से होनेवाली हत्याओं की दरें कम हैं। दक्षिण भारत में बंदूकों का व्यापार दरअसल 2009 में श्रीलंका में हुए विद्रोह के नतीजों के पहले तक उसी द्वीप पर निर्भर था। दक्षिण भारत में बंदूकों से हुए हमले की दरों पर कई और कारणों का प्रभाव है और उनकी विस्तार से जांच–पड़ताल करने की आवश्यकता है।

तालिका4 सबसे कम खतरे वाले राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशए 2008

राज्य	प्रति एक लाख की आबादी पर बंदूकों से होने वाली मौत	प्रति एक लाख की आबादी पर होने वाली कुल हत्याएं
लक्षद्वीप	0.00	1.4
सिक्किम	0.00	1.5
अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	1.9
पुडुचेरी	0.00	3.2
दादर और नगर हवेली	0.00	3.4
केरल	0.003	1.1
उड़ीसा	0.02	3.1
गुजरात	0.04	2.0
तमिलनाडु	0.04	2.6
आंध्रप्रदेश	0.06	3.3

नोटःप्रति एक लाख की आबादी पर बंदूकों से होने वाली हत्याओं को दो अंकों म राउंड किया गया है (केरल को छोड़कर)। स्रोतः एनसीआरबी (2009ए)

कुछ राज्यों में, खासकर वहां जहां गैरकानूनी बंदूकों की समस्या है, दुर्घटनावश चली बंदूकों से होनेवाली मौत की दरें सोचे–समझे तरीके से बंदूकों से हुई मौतों से प्रतिस्पर्द्धा रखती है। दुर्घटनावश चली बंदूकों से होनेवाली मौतों की ऊंची दरों की कुछ वजह अनुभवहीन बंदूकधारियों द्वारा गैरकानूनी हथियारों की जांच के दौरान की जानेवाली फायरिंग है। लेकिन ये दरें दर्शाती हैं कि कुछ और तथ्य भी हैं जो सामने नहीं आए, जैसे पुलिस द्वारा की जानेवाली संदेहास्पद रिपोर्टिंग। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंदूकों से होनेवाली दुर्घटनावश मौत क्रमशः 36.4 प्रतिशत और 42.3 प्रतिशत थीं। वैसे इनके प्रमाण ज्यादातर पारिस्थितिक थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हत्याओं और

आत्महत्याओं को भी दुर्घटना में हुई मौत के तौर पर रिपोर्ट किया गया।

सबसे कम और सबसे ज्यादा खतरनाक महानगर

तालिका 6 से भारत के 35 महानगरों में बंदूकों से होनेवाली मौत की स्थिति का पता चलता है। 2008 में इन महानगरों में औसतन सालाना मौत दर प्रति एक लाख की आबादी पर 2.7 थी। आमतौर पर जिन शहरों में हत्या दर बहुत ऊंची हो, वहीं बंदूकों से होनेवाली मौतों की

तालिका5 भारत मे बंदूक से होने वाली मौतें

राज्य	बंदूक से होने वाली मौतें				2008 की अनुमानित आबादी (मिलियन में)	प्रति एक लाख की आबादी में बंदूक से मरने वाले
	हत्या	आत्महत्या	दुर्घटना	कुल		
आंध्रप्रदेश	11	27	12	50	82.0	0.06
अरुणाचल प्रदेश	5	2	4	11	1.2	0.91
असम	30	6	16	52	30.0	0.17
बिहार	622	7	35	664	94.0	0.70
छत्तीसगढ	104	5	58	167	24.0	0.70
गोवा	2	3	0	5	1.6	0.30
गुजरात	14	5	3	22	57.0	0.04
हरियाणा	116	11	25	152	24.0	0.64
हिमाचल प्रदेश	3	7	3	13	6.6	0.20
जम्मू और कश्मीर	181	8	26	215	13.0	1.72
झारखंड	467	53	1	521	30.0	1.73
कर्नाटक	11	38	7	56	58.0	0.10
केरल	0	0	1	1	34.0	0.003
मध्य प्रदेश	197	27	81	305	70.0	0.44
महाराष्ट्र	197	6	6	209	107.0	0.19
मणिपुर	154	4	3	161	2.6	6.11
मेघालय	8	2	3	13	2.5	0.51
मिजोरम	2	2	1	5	1.0	0.51
नागालैंड	92	5	18	115	2.0	5.24
उड़ीसा	3	2	3	8	40.0	0.02
पंजाब	54	16	38	108	27.0	0.41
राजस्थान	77	12	3	92	65.0	0.14
सिक्किम	0	0	0	0	0.6	0.00
तमिलनाडु	2	22	0	24	67.0	0.04
त्रिपुरा	9	2	1	12	3.5	0.34
उत्तर प्रदेश	1,470	162	1,197	2,829	192.0	1.47
उत्तराखंड	86	3	17	106	9.5	1.11
पश्चिम बंगाल	111	28	40	179	88.0	0.20
केन्द्र शासितप्रदेश						
अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0.4	0.00
चंडीगढ़	0	4	2	6	1.0	0.56
दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0.2	0.00
दमन और दीव	0	1	0	1	0.2	0.53
दिल्ली (राजधानी क्षेत्र)	73	9	35	117	17.0	0.68
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0.07	0.00
पुडुचेरी	0	0	0	0	1.0	0.00
कुल	**4,101**	**479**	**1,639**	**6,219**		

तालिका6 35 महानगरों में बंदूकों से मरने वालों की संख्या, 2008

शहर	बंदूक से होने वाली मौतें				2008 की अनुमानित आबादी (मिलियन में)	प्रति एक लाख की आबादी में बंदूक से मरने वाले
	हत्या	आत्महत्या	दुर्घटना	कुल		
आगरा	11	1	2	14	1.3	1.10
अहमदाबाद	1	0	0	1	4.5	0.02
इलाहाबाद	12	8	43	63	1.0	6.00
अमृतसर	2	2	2	6	1.0	0.59
आसनसोल	0	0	4	4	1.1	0.37
बेंगलुरू	0	5	0	5	5.7	0.09
भोपाल	2	1	0	3	1.5	0.21
चेन्नई	0	0	2	2	6.4	0.06
कोयम्बटूर	0	0	0	0	1.4	0.00
दिल्ली सिटी	58	8	31	97	12.8	0.76
धनबाद	0	0	0	0	1.1	0.00
फरीदाबाद	4	1	0	5	1.1	0.47
हैदराबाद	0	5	8	13	5.5	0.23
इंदौर	14	0	0	14	1.6	0.85
जबलपुर	0	0	0	0	1.1	0.00
जयपुर	4	3	0	7	2.3	0.30
जमशेदपुर	0	0	0	0	1.1	0.00
कानपुर	35	2	19	56	2.7	2.10
कोच्चि	0	0	0	0	1.4	0.00
कोलकाता	2	0	0	2	13.2	0.02
लखनऊ	14	0	1	15	2.3	0.66
लुधियाना	5	2	2	9	1.4	0.65
मदुरै	0	0	0	0	1.2	0.00
मेरठ	7	13	243	263	1.2	23.00
मुंबई	110	0	0	110	1.6	0.67
नागपुर	3	1	0	4	2.1	0.19
नासिक	0	0	0	0	1.2	0.00
पटना	46	4	4	54	1.7	3.20
पुणे	3	0	0	3	3.8	0.08
राजकोट	0	0	0	0	1.0	0.00
सूरत	0	1	0	1	2.8	0.00
वड़ोदरा	1	0	0	1	1.5	0.07
वाराणसी	11	4	23	38	1.2	3.10
विजयवाड़ा	0	0	0	0	1.0	0.00
विशाखापत्तनम	0	1	0	1	1.3	0.08
कुल	**345**	**62**	**384**	**791**		

नोट : बंदूकों से होने वाली मौतों की दर दो अंकों में राउंड की गई है।
तालिका 5 और 6 के स्रोतः एनसीआरबी (2009 ए; 2009 बी) एनसीआरबी के साथ लेखक की बातचीत

ऊंची दर देखने को मिलती है।

तालिका 6 से देश के सबसे कम और सबसे अधिक खतरनाक महानगरों की सूची का पता चलता है। इनमें से जिन महानगरों में बंदूकों से सबसे ज्यादा मौत हुई उन्हें तालिका 7 में रखा गया है, और प्रति एक लाख आबादी पर होनेवाली मौत के हिसाब से उन्हें रैंकिंग दी गई है।

सबसे सुरक्षित महानगरों में वे महानगर हैं जहां 2008 में बंदूकों से सबसे कम मौत हुई, उनमें से तो कई ऐसे शहर थे जहां उस साल बंदूक से हुई कोई हत्या दर्ज की ही नहीं गई। इन्हें तालिका 8 में डाला गया है, जहां प्रति एक लाख की आबादी पर बंदूक से होनेवाली हत्या की दर की सूची दी गई है।

राज्यों में बंदूकों से होनेवाली मौतों के जो कारण दिखाई दिए, तकरीबन वही कारण शहरों को भी प्रभावित करते दिखाई देते हैं। लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अनोखापन भी नजर आया है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश शहरों – जिनमें इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ और वाराणसी शामिल है – में बंदूकों से होनेवाली मौतों में दुर्घटनावश हुई मौतों की संख्या अधिक और हत्याओं की संख्या कम थी (तालिका 9 देखें)।

मेरठ में ये चरमसीमा पर नजर आया, जिनमें शहर में रिपोर्ट की गई बंदूकों से होनेवाली कुल मौतों का सिर्फ 2.6 प्रतिशत हत्या की श्रेणी में डाला गया जबकि बाकी को दुर्घटनाओं के तौर पर दर्ज किया गया। ये हैरानी की बात है क्योंकि मेरठ में हत्या की दर

तालिका7 सबसे खतरनाक महानगर, 2008

शहर	प्रति एक लाख आबादी पर बंदूकों के शिकार लोग	प्रति एक लाख आबादी पर हुई हत्याएं
मेरठ	23.0	4.6
इलाहाबाद	6.0	4.4
पटना	3.2	8.6
वाराणसी	3.1	3.4
कानपुर	2.1	6.2
आगरा	1.1	3.9
इंदौर	0.9	5.9
दिल्ली सिटी	0.8	3.5

नोट : दर दो अंकों में राउंड की गई है।
स्रोत: एनसीआरबी (2009ए); एनसीआरबी के साथलेखक की बातचीत

तालिका8 सबसे कम खतरनाक महानगर, 2008

शहर	प्रति एक लाख आबादी पर बंदूकों के शिकार लोग	प्रति एक लाख आबादी पर हुई हत्याएं
कोच्चि	0	0.7
कोयम्बटूर	0	1.4
धनबाद	0	2.4
जबलपुर	0	3.0
मदुरै	0	3.3
विजयवाड़ा	0	3.4
राजकोट	0	3.6
नासिक	0	3.7
जमशेदपुर	0	3.9
अहमदाबाद	0.02	1.9
कोलकाता	0.02	0.4

नोट : दर दो अंकों में राउंड की गई है।
स्रोत: एनसीआरबी (2009ए); एनसीआरबी के साथलेखक की बातचीत

पटना, बिहार, के पास नालंदा की एक अवैध फैक्ट्री से जब्त किए गए हथियार © एएफपी फोटो/ देशकल्याण चौधरी

बहुत ऊंची है – प्रति एक लाख आबादी पर 4.6 – जो दूसरे महानगरों की तुलना में कहीं ज्यादा है। महानगरों में बंदूकों से होनेवाली मौत की दर प्रति एक लाख पर 2.7 है जबकि देश का राष्ट्रीय औसत 2.8 है। मेरठ में बड़ी संख्या में गैरकानूनी बंदूक बनाने के लिए फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिनमें कुछ दुर्घटनावश हुई मौतों की वजह होते होंगे। लेकिन बंदूकों से होनेवाली मौत की ये इकलौती बड़ी वजह नहीं हो सकता। यही स्वरूप उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी दिखाई दिया है, लेकिन ऐसे स्तर पर किसी और राज्य में नजर नहीं आता।

मेरठ और उत्तर प्रदेश के बाकी बड़े शहरों में बंदूकों से होनेवाली मौतों की गहन जांच–पड़ताल की सख्त आवश्यकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, क्या ये भी हो सकता है कि कुछ हत्याओं और आत्महत्याओं को दुर्घटना में हुई मौतों के तौर पर दर्ज कर दिया गया हो? या क्या उन्हें जल्दबाजी में और बेपरवाह करतूतों की वजह से हुई मौत के तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है?

बंदूकों से होनेवाली मौत की प्रवृत्ति, 1999–2008

एनसीआरबी ने 1999 में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में बंदूकों से होनेवाली हत्याओं की जानकारी की सूचना देनी शुरू की। 1999 से अबतक बंदूकों की गोलियों से होनेवाले मामलों की संख्या करीब–करीब आधी हो गई है (देखें तालिका 10)। 1999 में बंदूकों से कुल 9,294 लोग मारे गए थे जबकि अगले सालों में ये संख्या घटकर 2008 तक आते–आते 4,101 हो गई थी। 1999 से बंदूकों से मारे गए लोगों का अनुपात 24.3 प्रतिशत से गिरकर 2008 में 14 प्रतिशत हो गया, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पिछले दस सालों में बंदूकों से होनेवाली हत्याएं जरूर कम हुई हैं। हालांकि, जैसा कि पहले कहा गया है, कुछ क्रिमिनॉलोजिस्ट और एपिडिमियोलॉजिस्टों ने एनसीआरबी के आंकड़ों पर शक जरूर जाहिर किया है (देखें बॉक्स 1)।

जैसा कि तालिका 1 से पता चलता है, सभी तरह की बंदूकों – लाइसेंसी और गैरलाइसेंसी – से मरनेवाले लोगों की कुल संख्या 1999–2008 के बीच घटी है। जैसे ही बंदूकों से होनेवाली मौतों की संख्या में कमी आई, वैसे ही गैरलाइसेंसी बंदूकों से होनेवाली मौतों की संख्या में भी कमी आई, हालांकि ये कमी बहुत बड़ी नहीं थी। 1999 में बंदूकों से होनेवाली हत्याओं की संख्या का कुल 92 प्रतिशत गैरलाइसेंसी बंदूकों

से हुई मौत थी, लेकिन 2008 तक ये आंकड़ा गिरकर 86 प्रतिशत हो गया। इस कमी से ये पता चल सकता है कि गैरलाइसेंसी बंदूकों पर रोक लगाने की अधिकारियों की कोशिश कुछ हद तक सफल रही। लेकिन गैरलाइसेंसी बंदूकों से होनेवाली समस्या का आकार बहुत बड़ा और भयावह है।

इन्हीं दस सालों के भीतर बंदूकों से होनेवाली कुल रिपोर्ट मौतों की संख्या भी गिरकर करीब आधी हो गई, 1999 में 12,147 से 2008 तक आते–आते 6,219 (देखें तालिका 11)। जबकि बाकी हिंसक अपराधों की संख्या में बहुत कम ही गिरावट आई, 1999 में 238,081 से गिरकर 2008 में 228,663 (एनसीआरबी, 2005, पृ. 169, 2009ए, पृ. 51)। बंदूकों से होनेवाली मौतों की संख्या में नाटकीय गिरावट एक बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन इसके कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है। इस गिरावट के पीछे की ताकतों का पता लगाना समकालीन भारतीय क्रिमिनॉलोजी के सामने एक बड़ी चुनौती है। इनकी संभावनाओं में आर्थिक विकास, पुलिस सुधार और सामाजिक सक्रियता शामिल है। लेकिन ये सब महज अटकलें हैं। भारत की हत्यादर का गिरना अभी भी रहस्यमय बना हुआ है।

ना सिर्फ हत्या दर में कमी आई है, बल्कि बंदूकों से होनेवाली हत्याओं के अनुपात में भी गिरावट आई है। आत्महत्याओं और दुर्घटनाओं के मुकाबले बंदूकों से होनेवाली हत्याओं का अनुपात 1999 में 77 प्रतिशत था जो 2008 में गिरकर 66 प्रतिशत हो गया। जबकि उसी दौरान बंदूकों से होनेवाली आत्महत्याओं का अनुपात और तेजी से बढ़ा ही है, 19 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत। इससे भी तेजी से बंदूकों से होनेवाली दुर्घटनावश मौतों की संख्या में वृद्धि हुई, जो 1999 में 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 2008 में 8 प्रतिशत हो गई। यानि, दस सालों में जहां बंदूकों से होनेवाली हत्याओं में गिरावट आई वहीं पिछले पांच सालों में आत्महत्याओं और दुर्घटना में होनेवाली मौतों के वार्षिक अनुपातों में बहुत तेजी आई है। बंदूकों से होनेवाली हत्याओं में गिरावट को इससे भी जोड़कर देखना चाहिए कि इसी दौरान हत्याओं की कुल संख्या में भी गिरावट आई है।

चुनिंदा भारतीय शहरों में पिछले दस सालों में बंदूकों से होनेवाली मौतों की सूची बनाई गई ताकि ये देखा जा सके कि इससे क्या ढांचा निकलकर सामने आता है। चित्र 1 से उन महानगरों में बंदूकों से होनेवाली हत्याओं की संख्या का पता चलता है जहां बंदूकों से होनेवाली हत्या की दर अधिक है। यहां

तालिका 9 चुनिंदा शहरों में बंदूकों से होने वाली हत्याएं और दुर्घटनाओं में मौत, 2008

शहर	बंदूकों से होने वाली हत्याएं		बंदूकों से होने वाली दुर्घटनाएं और मौत		बंदूकों से होने वाली कुल मौतें
	संख्या	बंदूकों से होने वाली मौतों का प्रतिशत	संख्या	बंदूकों से होने वाली सभी हत्याओं का प्रतिशत	
आगरा	11	79	2	14	14
इलाहाबाद	12	19	43	68	63
दिल्ली सिटी	58	60	31	32	97
इंदौर	14	100	0	0	14
कानपुर	35	63	19	34	56
मेरठ	7	3	243	92	263
पटना	46	85	4	12	54
वाराणसी	11	29	23	61	38

स्रोतः एनसीआरबी (2009ए); एनसीआरबी के साथलेखक की बातचीत

तालिका 10 भारत में लाइसेंसी और गैरलाइसेंसी बंदूकों से होने वाली हत्याएं

वर्ष	सभी हत्याएं	लाइसेंस धारी बंदूकों से मारे गए		गैर लाइसेंसी बंदूकों से मारे गए		बंदूकों से होने वाली हत्याओं के पीडित
	पीडित	पीडित	बंदूकों से होने वाली हत्याओं का प्रतिशत	पीडित	बंदूकोंसे होने वाली हत्याओं का प्रतिशत	
1999	38,272	772	8	8,522	92	9,294
2000	40,373	589	7	7,781	93	8,370
2001	38,636	591	7	7,428	93	8,019
2002	38,033	837	9	8,456	91	9,293
2003	33,821	624	8	7,202	92	7,826
2004	34,915	813	10	7,621	90	8,434
2005	34,419	556	10	5,087	90	5,643
2006	33,808	587	11	4,988	89	5,575
2007	33,428	598	12	4,240	88	4,838
2008	33,727	574	14	3,527	86	4,101

स्रोतः एनसीआरबी (2009ए); एनसीआरबी के साथलेखक की बातचीत

तालिका 11 भारत में बंदूकों से होने वाली मौतों की संख्या, 1999–2008

वर्ष	हत्याएं		आत्महत्याएं		दुर्घटनाएं		बंदूकों से होने वाली कुल मौतें
	संख्या	बंदूकों से होने वाली मौतों का प्रतिशत	संख्या	बंदूकों से होने वाली मौतों का प्रतिशत	संख्या	बंदूकों से होने वाली मौतों का प्रतिशत	
1999	9,294	77	2,303	19	550	4.5	12,147
2000	8,370	73	2,634	23	515	4.4	11,519
2001	8,019	72	2,688	24	395	3.6	11,102
2002	9,293	75	2,597	21	471	3.8	12,361
2003	7,826	76	1,993	19	544	5.3	10,363
2004	8,434	75	2,283	20	503	4.5	11,220
2005	5,643	65	2,254	27	752	8.9	8,469
2006	5,575	69	2,161	27	353	4.4	8,089
2007	4,838	64	2,046	27	719	9.5	7,603
2008	4,101	66	1,639	26	479	7.7	6,219

नोट : अंकों की राउंडिंग की वजह से हो सकता है प्रतिशत 100 तक ना जाए

स्रोतः एनसीआरबी (2009ए; 2009बी; एन.डी.ए.; एन.डी.बी)

दिखाई देनेवाले उदाहरण मूलतः अलग–अलग वक्र–रेखा पेश करते हैं। जहां कुछ शहरों की दरें बिल्कुल ठहरी हुई हैं वहीं कुछ अन्य, जैसे आगरा, कानपुर और पटना में 2000 के बाद तेजी से गिरावट देखने को मिली है, हालांकि दूसरे शहरों के मुकाबले यहां अभी भी संख्या अधिक ही है। आंकड़ों के अभाव की वजह से सभी शहरों, यहां तक कि महानगरों की तुलना करना भी तकरीबन असंभव हो जाता है। उपलब्ध आंकड़े दिखाते हैं कि हत्या और बंदूकों से होनेवाली हत्याओं में आनेवाली गिरावट कोई एकसमान तथ्य नहीं है, बल्कि बिल्कुल सीमित है। ऐसा क्यों हुआ कि कुछ शहरों में संख्या में गिरावट देखने को मिली, जबकि कुछ में ये संख्या ठहरी रही और कहीं कहीं तो बढ़ी ही, ये अगले शोध का अहम सवाल हो सकता है।

मृत्यु दर कम भी हो तो साल–दर–साल दिखाई देनेवाली अस्थिरता आम बात लगती है। चित्र 2 में उन शहरों के नाम और बंदूकों से मरनेवालों की संख्या दिखाई गई है जहां बंदूकों से होनेवाली मृत्यु दर निम्न है। पिछले दस सालों में इन सभी शहरों में बंदूकों से होनेवाली मौत की दर कम ही रही, लेकिन कहीं–कहीं बहुत अंतर दिखाई देता है, जहां किसी एक साल में ये संख्या बड़ी नाटकीय तरीके से बढ़ी दिखाई दी हो। इन उदाहरणों में चेन्नई (2005), जमशेदपुर (2007), मदुरै (2003 से पहले), राजकोट और विजयवाड़ा (2003) शामिल है। कोलकाता और सूरत में इसी दौरान लगातार कमी दिखाई दी।

सबूतों की पुष्टि: बंदूकों से होनेवाली घातक चोटों की

ऑटोप्सी

पोस्टमार्टम जांच, या ऑटोप्सी, मेडिकल डॉक्टरों द्वारा की जानेवाली वो प्रक्रिया है जिससे मृत्यु के कारणों और तरीके का पता चलता है। भारत में दो तरीके से ऑटोप्सी की जाती है . पैथोलॉजिकल और मेडिको–लीगल या फॉरेन्सिक।[2]

पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी तब की जाती है जब मरने से पहले किसी घातक बीमारी या मृत्यु के कारण का पता नहीं लगाया जा सका हो। इस ऑटोप्सी का मकसद मृत्यु के कारण का पता लगाना होता है जिससे मेडिकल जानकारी के द्वारा मृतक के रिश्तेदारों को मृत्यु के कारण के बारे में बताया जा सके। इस ऑटोप्सी के लिए मृतक के रिश्तेदारों की सहमति आवश्यक है।

फॉरेन्सिक ऑटोप्सी संदेहास्पद, अप्राकृतिक, या अचानक हुई मृत्यु के के मामले में कानूनी तौर पर आवश्यक है, जहां मृत्यु की कोई भी संदिग्ध वजह की गुंजाईश हो, या मरने की प्रक्रिया में देश के कानून को किसी भी तरह से भंग किया गया हो। इसलिए, सभी दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं और संहार के मामले में भारत में ऑटोप्सी कराना जरूरी है। चूंकि कानूनी तौर पर ऐसी ऑटोप्सी कराना आवश्यक है, इसलिए इसके लिए रिश्तेदारों की सहमति आवश्यक नहीं। इसलिए उन सभी प्रकार की अप्राकृतिक मौत में फॉरेन्सिक ऑटोप्सी कराई जाती है, जिनके मामले दर्ज किए गए हों।

सिर्फ उन्हीं अप्राकृतिक मौत के मामलों में ऑटोप्सी नहीं कराई जाती जिनके मामले पुलिस या अस्पतालों में दर्ज नहीं कराए गए हों या फिर ऐसे मामलों में जहां मृत शरीर को छुपाया गया हो। हो सकता है, मृत्यु के कुछ मामलों में, खासतौर पर दूरदराज के इलाकों में, ऐसा हो, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि ऐसा अक्सर होता है। ऑटोप्सी से तब भी धोखा देकर बचा जा सकता है जब मृत्यु प्रमाणपत्रों में आत्महत्या को प्राकृतिक या दुर्घटना में हुई मौत करार दिया गया है। ऐसी गलतबयानी अक्सर सामाजिक कलंक और आत्महत्या से जुड़े कानूनी पचड़ों से बचने के लिए की जाती है।

ऑटोप्सी पूरे देश में सरकार द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में हो सकती है। ऑटोप्सी कराने के लिए पुलिस को योग्य डॉक्टरों द्वारा जांच कराने के लिए एक लिखित अर्जी डालनी होती है, जो स्वतंत्र रूप से इन प्राधिकृत केन्द्रों पर काम करते हैं। ऑटोप्सी करने के बाद एक डॉक्टर पुलिस को रिपोर्ट सौंपता है। आम वर्गीकरण के बावजूद इस प्रक्रिया में मिलनेवाले आंकड़े आमतौर पर सटीक और सुसंगत होते हैं। चूंकि ऑटोप्सी केन्द्र खास क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, इसलिए उनके आंकड़े इन विशेष क्षेत्रों में मृत्युदर के स्वरूप की अच्छी समझ देते हैं।

भारत के शहरों में मृत्यु के स्वरूप के विषय में और बेहतर समझ छपे हुए शोध से मिलती है। इनमें से अधिकांश अध्ययन हत्या के सभी रूपों की तुलना करते हैं, जिससे संपूर्ण संदर्भ में बंदूकों के इस्तेमाल का पता चल जाता है। इनमें से कुछ सिर्फ बंदूकों से होनेवाली हत्याओं पर विचार करते हैं, जिससे बाकी तरीके छूट जाते हैं। इनमें खासतौर पर दो गहन अध्ययन

चित्र1 बंदूकों से होने वाली मौत के ऊंचे दर वाले चुनिंदा शहरों में बंदूकों के शिकार लोगों की संख्या, 1999–2008

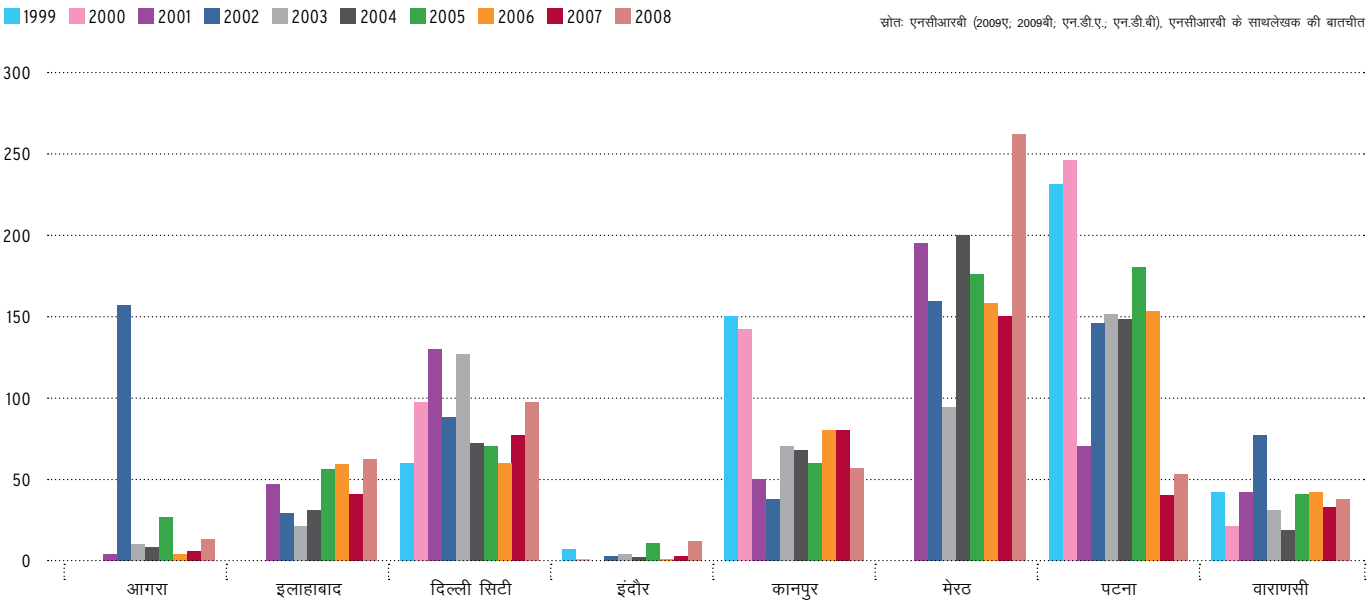

स्रोत: एनसीआरबी (2009ए, 2009बी; एन.डी.ए.; एन.डी.बी), एनसीआरबी के साथलेखक की बातचीत

इम्फाल और सूरत शहरों पर केन्द्रित हैं, जिनकी अलग–अलग समय में जांच की गई। चूंकि ये अध्ययन फोरेन्सिक मेडिसिन के विशेषज्ञों द्व ारा किए गए, इसलिए इनकी सबसे बड़ी ताकत प्रणालीसंबंधी सुसंगतता (methodological consistency) और फलस्वरूप, तुलनात्मक विश्लेषण (comparability) है। लेकिन इनकी कमजोरी इनकी अव्यवस्थित कार्यक्षेत्र व्याप्ति है – जो कुछ ही शहरों तक सीमित है। बड़े शहरों के मामले में, जहां एक से ज्यादा मेडिकल कॉलेज या ऑटोप्सी सेंटर है, हो सकता है अध्ययन से मिलनेवाले आंकड़ों में पूरे शहर के आंकड़े शामिल ना हों। बावजूद इसके इन अध्ययनों से मिलनेवाले ये आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़ों से स्वतंत्र होकर शहरों और राज्यों में बंदूकों से होनेवाली घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं।

हैदराबाद के एक शवगृह में सशस्त्र हिंसा के शिकार व्यक्ति का शव

© रॉयटर्स/कृष्णेन्दू हलदर

इन शहरों के तय केन्द्रों में की जानेवाली ऑटोप्सी की संख्या और अनुपात में विभिन्नता ऑटोप्सी पर किसी राष्ट्रीय नीति के अभाव को दर्शाता है। शहरों और क्षेत्रों में बंदूकों से होनेवाली मौतों की ऑटोप्सी की संख्या की तरह ही ऑटोप्सी की दरों में बहुत अंतर दिखाई देता है। इस अंतर के कारण सही–सही समझ में नहीं आते। इस समीक्षा से पता चलता है कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बंदूक से मरनेवाले लोगों की ऑटोप्सी का दर सबसे ऊंचा है। की गई सभी ऑटोप्सी में से 42.5 प्रतिशत ऑटोप्सी हत्या के शिकार लोगों पर हुई जबकि इससे कम – लेकिन फिर भी अहम – अनुपात उनका थी जिनकी बंदूक की गोली से मौत हुई। ये भी जानना प्रासंगिक है कि बंदूक से होनेवाली हत्या के मामले में मणिपुर का स्थान सबसे ऊपर है (देखें चित्र 3 और 4)। जहां इम्फाल में बंदूक की गोली के शिकार लोगों की ऑटोप्सी के आधार पर ही जांच होती है, असम के गुवाहाटी में बड़ी तादाद में हत्याएं बंदूकों से ही हुई। लेकिन दोनों मामलों में विद्रोह और विद्रोह के दमन से जुड़ी मौतों की जांच भी इसमें शामिल हो सकती है। ऐसा लगता है कि बंदूक से होनेवाली हत्या के दूसरे संदर्भों, जैसे अपराध और घरेलू हिंसा, पर प्रशासन का उतना ध्यान नहीं जाता।

ऑटोप्सी के आंकड़े मृत्यु के कारणों में बड़ा अंतर भी दर्शाते हैं। मारने–पीटने की वजह से लगी चोट (जैसे हाथ, पैर या किसी भारी सामान से मारना) अमृतसर, रोहतक और सूरत में मृत्यु की सबसे घातक वजह थी। तेज और धारदार हथियारों से हमले की वजह से अमृतसर, मणिपाल, नागपुर और सूरत में कई जानलेवा घटनाएं हुईं। इलाहाबाद, इम्फाल और वाराणसी में बंदूक से होनेवाले हमले सबसे जानलेवा हमले बने (देखें तालिका 12)।

दिल्ली में बंदूकों से होनेवाली मौत के अध्ययन से पता चलता है कि की गई कुल 7,034 ऑटोप्सी में से 107 (कुल ऑटोप्सी का 1.5 प्रतिशत) बंदूकों से किए गए घातक हमले थे (कोहली और अग्रवाल, 2006)। मृतकों में अधिकांश पुरुष थे (91 प्रतिशत)। इन 107 मृतकों में 88 की मौत बंदूक की गोली लगने से हुई जबकि 19 छर्रों से लगनेवाली चोट से मरे। बंदूक से मरनेवाले लोगों में जांच किए गए कुल मामलों में 92.6 प्रतिशत हत्या के मामले थे जबकि 6.5 प्रतिशत आत्महत्या के। बंदूकों से दुर्घटना में 1 प्रतिशत से भी कम जानें गई थीं। ये भी

चित्र2 बंदूकों सेहोने वाली मौत के निम्न दर वाले चुनिंदा शहरों में बंदूकों के शिकार लोगों की संख्या, 1999–2008

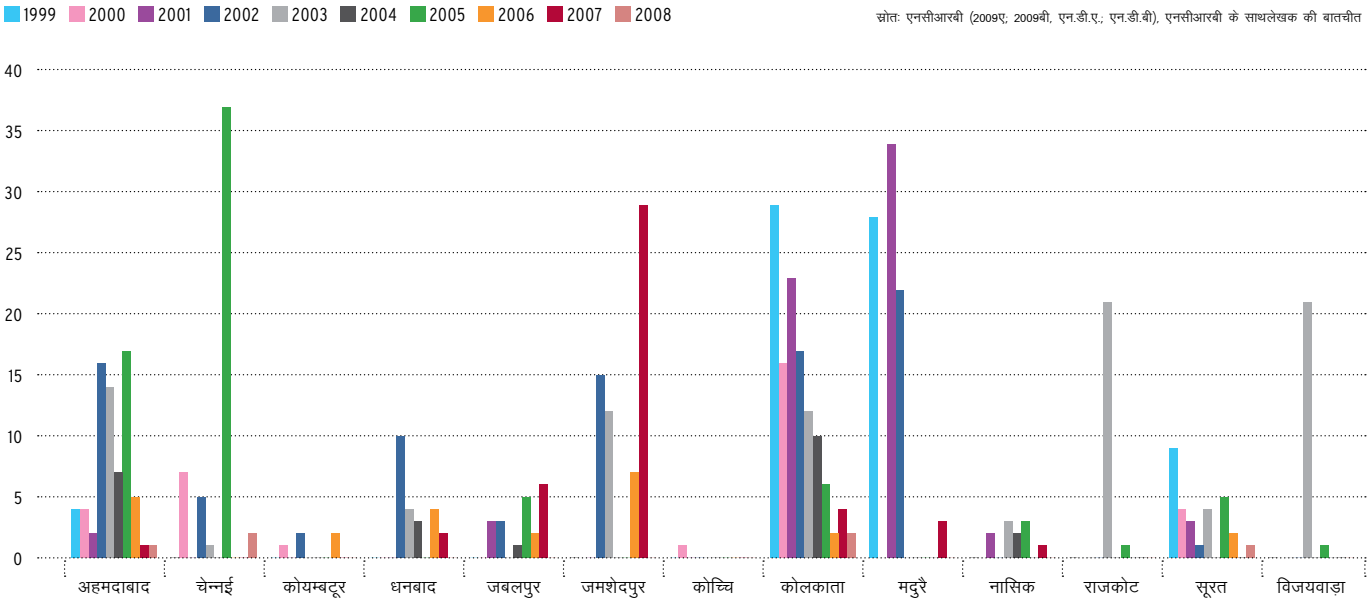

स्रोत: एनसीआरबी (2009ए; 2009बी, एन.डी.ए.; एन.डी.बी), एनसीआरबी के साथलेखक की बातचीत

जानना प्रासंगिक है कि दिल्ली मेरठ से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, जहां बंदूकों से होनेवाली मौत की दरें बहुत ऊंची हैं और जहां गैरकानूनी हथियार भी बनाए जा रहे हैं।

अलगाववादी संघर्ष से जूझ रहे इम्फाल में 18 सालों में हुई ऑटोप्सी पर भी एक अध्ययन किया गया है (प्रदीपकुमार एवं अन्य, 2005)। इस अध्ययन से पता चलता है कि बंदूकों से हुई कुल 3,947 मौतों में से 1,428 मामले (तकरीबन 32 प्रतिशत) ऑटोप्सी के लिए लाए गए। ऑटोप्सी किए गए मामलों में 36 प्रतिशत आतंकवादियों द्वारा मारे गए, 32 प्रतिशत सुरक्षा बलों द्वारा और 32 प्रतिशत अज्ञात हमलावरों द्वारा। इनमें से तकरीबन सभी मृतक पुरुष थे (98 प्रतिशत) और 54 प्रतिशत आम नागरिक थे। इन नागरिकों में 28 प्रतिशत को अज्ञात हमलावरों ने मारा, 21 प्रतिशत को उग्रवादियों ने और 4 प्रतिशत को सुरक्षाबलों ने। इनमें से अधिकांश मृतकों (60 प्रतिशत) को सिर में बंदूक की गोली लगी थी।

ऑटोप्सी के तरीकों की किसी अधोमुखी समीक्षा का फिलहाल अभाव है, दिल्ली से मिले आंकड़ों की बार–बार की गई जांच से एक वक्त के भीतर एक खास तरह का पैटर्न दिखाई देता है। 1991–93 में दिल्ली में ऑटोप्सी के लिए जमा किए गए 134 हत्या के मामलों में से 14 बंदूक से की गई हत्या के मामले थे। इनमें से दस मामलों में गोलियां लगी थीं जबकि 4 की मौत शॉटगन के छर्रों से हुई थी (कोहली और अग्रवाल, 1996,पृ. 36–7)। दिल्ली के उसी इलाके में आगे की जांच के दौरान किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 2006–07 में 183 हत्याएं ऑटोप्सी के लिए आईं जिनमें 44 (24 प्रतिशत) बंदूक से होनेवाली हत्याएं थीं। इनमें 43 की मौत गोली लगने से हुई और एक की छर्रा लगने से (कोहली और कुमार, 2009, पृ.सं. 129–34)। एक तुलना से पता चलता है कि बंदूकों से होनेवाली हत्याओं की ऑटोप्सी के मामले में पिछले 15 सालों में 10 से 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

दिल्ली की ऑटोप्सी का अध्ययन बंदूकों से होनेवाली हत्याओं की एनसीआरबी रिपोर्ट पर एक स्वतंत्र नजरिया पेश करता है। हालांकि अब तक तैयार किए गए आंकड़े एनसीआरबी के अपराध आंकड़े और ऑटोप्सी के आंकड़ों के बीच किसी तरह का सही पारस्परिक संबंध स्थापित नहीं करते, लेकिन ये दोनों स्रोत आमतौर पर मेल खाते दिखाई देते हैं। दिखाई देनेवाला ये संबंध भविष्य में शोध का एक बहुत अहम क्षेत्र है जिससे रिपोर्ट किए जानेवाली हत्या की संख्याओं पर एनसीआरबी के आंकड़ों की विश्वसनीयता को समर्थन मिलता है।

चित्र3 ऑटोप्सी के लिए जमा किए गए हत्या के मामलों का प्रतिशत

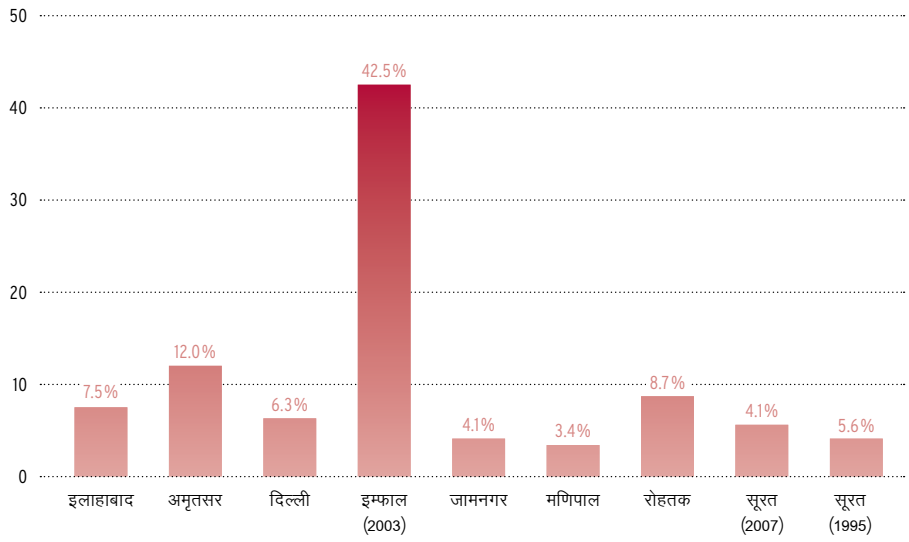

चित्र4 ऑटोप्सी के लिए जमाकिए गए बंदूक से हुई हत्याओं के मामले

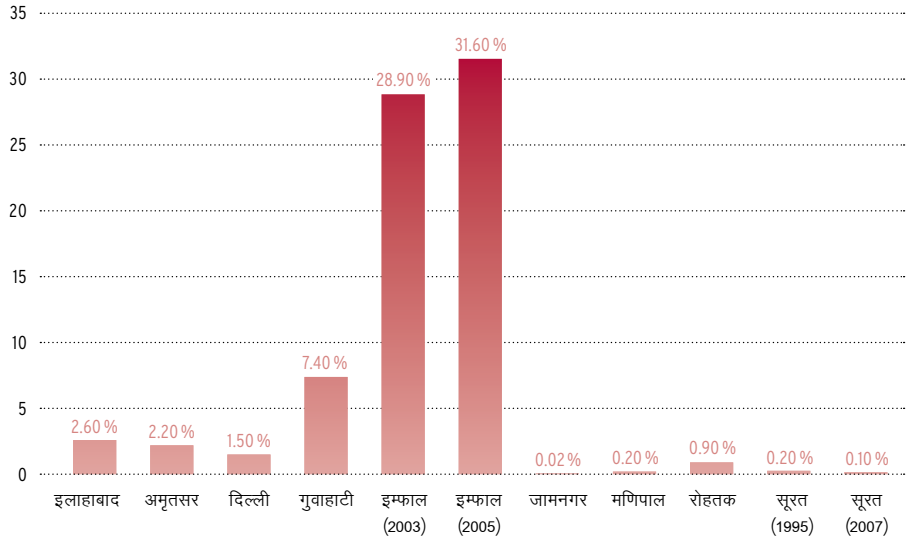

चित्र 3 और 4 के स्रोत:इलाहाबाद:सिन्हा, कपूर, एंडपांडे (2003, पृ.सं. 33–35);अमृतसर:मित्तलऔरअन्य (2005, पृ.सं. 226–27);दिल्ली:कोहली एंडकुमार (2009, पृ.सं. 129–134);गुवाहाटी: पाटोवारी (2007, पृ.सं. 92–93); इम्फाल:मेमचौबी, मोमोनचंद, एंडफाइमेट (2003, पृ.सं. 13–14);प्रदीपकुमारऔरअन्य (2005, पृ. 223);जामनगर:गुप्ता एंड सिंह (2007, पृ.सं. 6–7);मणिपाल, मोहंतीऔरअन्य (2005, पृ.सं. 302–03); रोहतक:पाल, पालीवाल, और यादव (1994, पृ.सं. 42–43);सूरत: शेख एंडसुब्रमण्यम (1995, पृ.सं. 9–13);गुप्ता, प्रजापति, एंडकुमार (2007, पृ.सं. 29–31)

निष्कर्ष

इस समीक्षा को पढ़नेवाले पाठकों को ये बताना जरूरी है कि शोधकर्ताओं ने भारतीय परिपेक्ष्य में बंदूकों की भूमिका को समझना अभी शुरू ही किया है। फॉरेन्सिक पैथोलॉजिस्टों द्वारा पहले किए गए शोध इस समस्या के महत्व को और गहरी तरह स्थापित करते हैं। यहां जांच किए गए मृत्यु से जुड़े आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में होनेवाली हत्याओं में बंदूकों से होनेवाली हत्याएं का अनुपात बहुत बड़ा है जबकि बंदूकों से की जानेवाली हत्याएं उतनी आम नहीं है। बंदूकों से होनेवाली मौतों के मामले में क्षेत्र–दर–क्षेत्र दिखाई देनेवाला अंतर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। बंदूकों से होनेवाली मौतों की दर राज्यों और शहरों में अलग–अलग दिखाई देती है – कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं बहुत कम।

यहां दिखाई देनेवाली प्रवृत्ति भविष्य में शोध के लिए एक विस्तृत एजेंडा तय करती है। जिन तीन मुद्दों पर खासतौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं सकारात्मक सीख, बंदूकों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण और रिपोर्ट की जानेवाली दुर्घटना में हुई मौत का सही अर्थ। भारत के अनुभव से कई सकारात्मक सीख ली जा सकती है। इनमें से सबसे जरूरी बंदूकों से होनेवाली मौतों की संख्या में 1999 से आई

कमी है। बंदूकों से होनेवाली हत्याओं के मामले में भी कमी आई है। इसके पीछे की वजह अभी ठीक–ठीक समझना मुश्किल है। जरूरी है कि बेहतर नीति निर्धारण के लिए दक्षिण भारत के राज्यों, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु और कुछ और शहरों, जैसे कोलकाता, में निम्न हत्यादर के कारणों को बेहतर तरीके से समझा जाए। बंदूकों से होनेवाली मौत के इन इलाकों में क्या बंदूक बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं या बंदूकों की उपलब्धता के महत्व को बढ़ा–चढ़ाकर समझा गया है?

भारत में गैरकानूनी बंदूकों की घातकता स्पष्ट रूप से सामने है, लेकिन इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं। उदाहरण के लिए, सभी बंदूकों को अगर कानूनी मान्यता मिल जाए तो क्या खतरा कम हो जाएगा, या बढ़ेगा? कम–से–कम गैरलाइसेंसी बंदूकों से होनेवाली मौत के और विश्लेषण की आवश्यकता तो है ही। ये भी जानना जरूरी है कि कितने गैरकानूनी बंदूकों की सीमा के पार तस्करी की गई, और भारत में बने कट्टों का अनुपात क्या है? क्या तस्करी किए गए बंदूकों से ज्यादा हत्याएं होती हैं या फिर यहीं बनाए गए बंदूकों से? दिल्ली में मौजूद लेखक के अपने ऑटोप्सी शोध के आधार ये पता चलता है कि अधिकांश अपराधों में विदेशी बंदूकों का नहीं बल्कि घरेलू बने हुए बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। तस्करी किए गए हथियार उन इलाकों में महत्वपूर्ण है जहां सशस्त्र संघर्ष और आतंकवाद का प्रभाव है। लेकिन फिर भी इन टिप्पणियों की जांच की आवश्यकता है।

इस समीक्षा से एक और जो चिंताजनक तथ्य सामने आया है वो है देश के कुछ शहरों में बंदूकों से दुर्घटनावश होनेवाली मौत। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बंदूकों से दुर्घटनावश होनेवाली मौत आंकड़ों की अनिश्चितता और समग्र दुविधा की एक बड़ी वजह है। मौत के कारणों को लेकर आंकड़ों के क्या गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं, और मौत के तरीकों को कैसे स्थापित किया जा रहा है? मसलन, क्या वहां कोई गवाह मौजूद था? इन मौतों में से कितनों में लाइसेंसी बंदूकों का इस्तेमाल किया गया और कितनों में गैरलाइसेंसी बंदूकों का? क्या ये मौत उन स्थानों पर हुई जहां बंदूक बनाने के बाद उनकी टेस्टिंग की जा रही थी, या उन सार्वजनिक जगहों पर हुई जहां शादी का या अन्य कोई समारोह चल रहा था, जहां अक्सर रस्म के तौर पर बंदूकें चलाई जाती हैं? बंदूकों से दुर्घटना में हुई मौत जवाबों से ज्यादा सवाल पैदा करती है और दिखाई देनेवाली प्रवृत्ति की विश्वसनीयता को कमजोर बनाती है। ■

तालिका 1 2 भारत के चुनिंदा शहरों में हत्या के हथियार और कारण, कुल के प्रतिशत के हिसाब से

शहर	कुंद	तेज	कुंद और तेज	बंदूक	दम घुटना	जहर देना	जल कर मरना	अन्य
इलाहाबाद	24	19	0	35	14	2	2.5	4.5
अमृतसर	51	32	0	13	0	0	0	4
दिल्ली	29	29	0	24	14	0.5	4.5	0
इम्फाल	13	12	0	68	2.5	0	0.5	4
जामनगर	27	21	13	0.5	21	1.5	13	3
मणिपाल	30	38	7	5	5	0	16	0
नागपुर	22	54	4	2	6	0.5	12	0.5
रोहतक	48	25	0	11	9	3	5	0
सूरत (1995)	38	48	0	5	7	0	2	0
सूरत (2007)	43	34	7	3	5	0.5	6	2
वाराणसी	14	10	0	42	9	1.6	12	12

नोटः राउडिंग की वजह से हो सकता है, कुल जोड़ 100 प्रतिशत तक ना पहुंचे

स्रोतः चित्र 3 और 4 के स्रोत देखें, वाराणसीः उपाध्याय एंड त्रिपाठी (2004)

नोट्स

इस इश्यू ब्रीफ को फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, दिल्ली के डॉ अनिल कोहली ने लिखा। इसका संपादन ऐरॉन कार्प ने किया और सोनल मारवाह ने आंकड़े अपडेट किए तथा तालिकाएं बनाईं।

1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश से अलग कर नए राज्य बने। 2007 तक उत्तराखंड का अंतरिम नाम उत्तरांचल था। इन राज्यों में अपराध की प्रवृत्ति उन राज्यों से बहुत अलग नहीं जिनसे उन्हें मूलतः अलग किया गया था।

2 मौखिक ऑटोप्सी (वर्बल ऑटोप्सी) परिवार के सदस्यों से की जानेवाली एक सिलसिलेवार पूछताछ है जिसमें परिवार के सदस्यों से परिस्थितियों, घटनाओं, रोग के लक्षणों, उनकी पहचान और इलाज के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है जिससे मौत के कारणों का पता चल सके।

3 इस अध्ययन में इलाहाबाद (सिन्हा, कपूर, और पांडे, 2003, पृ. 33–35), अमृतसर (मित्तल एवं अन्य, 2005, पृ. 226–27), दिल्ली (कोहली और कुमार, 2009, पृ. 129, 134), जामनगर (गुप्ता और सिंह, 2007, पृ. 6–7), मणिपाल (मोहंती एवं अन्य, 2005, पृ. 302–03), नागपुर (घांगले, धावने, और मुखर्जी, 2003, पृ. 48), रोहतक (पाल, पालीवाल और यादव, 1994, पृ. 42–43), सूरत (शेख और सुब्रमण्यम, 1995, पृ. 9–13, गुप्ता, प्रजापति और कुमार, 2007, पृ.स. 29–31) और वाराणसी (उपाध्याय और त्रिपाठी, 2004)।

4 इन अध्ययनों में दिल्ली (कोहली और अग्रवाल, 1996, पृ.सं. 264–65), गुवाहाटी (पाटोवरी, 2007, पृ. 92–93) और इम्फाल (प्रदीपकुमार एवं अन्य, 2005, पृ. 223)।

संदर्भग्रंथ सूची

चक्रवर्ती, तपन. 2003. 'एन एल्टरनेटिव टू क्राइम ट्रेंड एनालिसिस इन इंडिया,'फॉल्टलाइन्स, वॉल्यूम 14.

डेली टाइम्स (पाकिस्तान). 2006. 'इंडिया होम टू 40 मिलियन इलिगल स्मॉल आर्म्स.' 2 अप्रैल.

दीक्षित, प्रशांत. 2009. 'वेपनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी थ्रू इलिसिट आर्म्स प्रॉलिफिरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेड'. बीनालक्ष्मी नेपराम के संपादकीय इंडिया एंड द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, नई दिल्लीः इंडिया रिसर्च प्रेस, पृ.सं. 35–36, 43–45.

एडलस्टन, माइकल एंड फ्लेमिंग कॉनरैडसेन. 2007. 'टाईम फॉर ए रिअसेसमेंट ऑफ द इंसिडेंस ऑफ इन्टेनशनल एंड अनइन्टेनशनल इन्जरी इन इंडिया एंड साउथ एशिया'. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियॉलोजी, वॉल्यूम 36, पृ.सं. 208–11.

घांगले,ए.एल., एस.जी.धवाने, एंड ए.ए.मुखर्जी. 2003. 'स्टडी ऑफ होमिसाइडल डेथ्स एट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, नागपुर.' जर्नल ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकॉलोजी, वॉल्यूम 20, नं. 1, पृ. 47–51.

गनपॉलिसीडॉटओआरजी, नई दिल्ली, 'गन पॉलिसी फैक्ट्स एंड न्यूज.' मार्च 2011. <http://www-gunpolicy-org/firearms/>

गुप्ता, बी.डी. एंड ओ.जी. सिंह, 2007. 'ट्रेन्ड्स ऑफ होमिसाइड्स इन एंड अराउन्ड जामनगर रीजन ऑफ गुजरात, इंडियाः ए रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑफ 5 इयर्स.'जर्नल ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकॉलोजी, वॉल्यूम 24, नंबर 2, पृ.सं. 6–7.

गुप्ता एस., पी. प्रजापति, एंड एस कुमार. 2007. 'विक्टिमॉलोजी ऑफ होमिसाइडः अ सूरत (साउथ गुजरात बेस्ड स्टडी). जर्नल ऑफ इंडियन एकैडमी ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन, वॉल्यूम 29, नं. 3, पृ.सं. 29–33.

हरिहरन, आर. 2007. 'मिलिटेन्सी एंड स्मॉल आर्म्स प्रोलिफेरेशन.' हिंदू, 20 अप्रैल.

कोहली, अनिल एंड बी.बी.एल. अग्रवाल. 1996. 'पैटर्न ऑफ मर्डर केसेस इन नॉर्थ–इस्ट डेल्ही'. जर्नल ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकॉलोजी, वॉल्यूम 13, नंबर 1–2, पृ.सं. 264–68.

कोहली, अनिल एंड अरविंद कुमार. 2009. 'होमिसाइड ट्रेन्ड्स इन डेल्ही, इंडिया.' रैंडल बी टॉलिवर एंड अलरिच आर कॉयन के संपादकीय होमिसाइड ट्रेन्ड्स, कॉजेस एंड प्रिवेन्शन. न्यू यॉर्क: नोवा पब्लिशर्स, पृ.सं. 129–42.

मेमचौबी, पी.एच.ए. मोमॉनचंद, एंड एल फाइमेट. 2003. 'होमिसाइड्स इन एंड अराउन्ड इंफाल.' जर्नल ऑफ इंडियन एकैडमी ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन, वॉल्यूम 25, नंबर 1, पृ.सं. 13–14.

गृह मंत्रालय. 'सेन्सस ऑफ इंडिया: 2011.' नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार. <http://censusindia-gov-in>

मित्तल, शिलेख, अन्य. 2005. 'मेडिकोलीगल स्टडी ऑफ मेकैनिकल इन्जरीज इन कल्पेबल होमिसाइड्स (एक्सक्लुडिंग डेथ्स ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट)'. जर्नल ऑफ इंडियन एकैडमी ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन, वॉल्यूम 12, नंबर 6, पृ.स. 302–04.

एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो). 2005. क्राइम इन इंडिया: 2003. नई दिल्ली, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय. <http://ncrb-nic-in/ciiprevious/data/cd&CII2003/cii&2003/home-htm>

– 2009ए. क्राइम इन इंडिया: 2008. नई दिल्ली, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय. <http://ncrb-nic-in/cii2008/home-htm>

– 2009बी. एक्सिडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया: 2008. नई दिल्ली: एनसीआरबी, गृह मंत्रालय <http://ncrb-nic-in/ADSI2008/home-htm>

– एन.डी.बी. 'एडीएसआई रिपोर्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स.' नई दिल्ली: एनसीआरबी, गृह मंत्रालय, 2001–08 ईडीएनएस. <http://ncrb-nic-in/adsi/main-htm>

पाल.वी, पी.के.पालिवाल,एंड डी.आर. यादव. 1994. 'प्रोफाइल ऑफ रिजनल इन्जरीज एंड वेपन्स यूज्ड इन होमिसाइडल विक्टिम्स इन हरियाणा.' जर्नल ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकॉलोजी, वॉल्यूम 11, नंबर 1–2, पृ.सं. 42–44.

पाटोवारी,ए.जे. 2007. 'स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इन्जरीज इन होमिसाइडल फायरआर्म इन्जरी केसेस'. जर्नल ऑफ इंडियन एकैडमी ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन, वॉल्यूम 27, नंबर 2, पृ.सं. 92–95.

प्रदीपकुमार, के और अन्य, 2005. 'होमिसाइडल फेटल फायरआर्म इन्जरिज.' जर्नल ऑफ इंडियन एकैडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, वॉल्यूम 27, नंबर 4, पृ.सं. 222–25.

शेख,एम.आई. एंड बी.वी.सुब्रमण्यम. 1995. 'स्टडी ऑफ होमिसाइडइन सूरत विथ स्पेशल रेफरेंस टू चेंजिंग ट्रेन्ड्स.' जर्नल ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकॉलोजी. वॉल्यूम 12, नंबर 1–2, पृ. 8–15.

सिन्हा, यू.एस., ए.के. कपूर, एंड एस.के. पांडे, 2003. 'पैटर्न ऑफ होमिसाइडल डेथ्स इन एसआरएन हॉस्पिटल्स मॉर्चुएरी एट अलाहाबाद.' जर्नल ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकॉलोजी, वॉल्यूम 20, नंबर 2, पृ. 30–36.

स्मॉल आर्म्स सर्वे. 2007. स्मॉल आर्म्स सर्वे 2007: गन्स एंड द सिटी. केम्ब्रिज: केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस

– 2011. इंडियाज स्टेट ऑफ आर्म्ड वायलेंस: असेसिंग द ह्यूमन कॉस्ट एंड पॉलिटिकल प्रायोरिटिज. इंडिया आर्म्ड वायलेंस असेसमेंट इश्यू ब्रीफ नंबर 1, जिनीवा: स्मॉल आर्म्स सर्वे. सितंबर.

उपाध्याय, पी., एंड सी.पी. त्रिपाठी. 2004. 'होमिसाइडल डेथ्स इन वाराणसी रिजन.' इंडियन इंटरनेट जर्नल ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकॉलोजी, वॉल्यूम 2. नंबर 2. जून.

वर्मा, अरविंद. 2000. 'लाइज, डैम लाइज एंड पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक्स.' इंडियन पुलिस जर्नल, वॉल्यूम रोमन नंबर 2–3, पृ.सं. 29–36

भारत सशस्त्र हिंसा आकलन के विषय में

भारतीय सशस्त्र हिंसा आकलन (इंडियन आर्म्ड वायलेंस असेसमेंट या IAVA) रिसर्च को बढ़ावा देता है और सशस्त्र हिंसा के कारणों और निष्कर्षों को समर्पित भारतीय समाज–शास्त्र शोध समुदायों को शोध के लिए प्रोत्साहित करता है। भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर तैयार किया गया ये समूह सुरक्षा के विभिन्न कारकों, हिस्सेदारों और सक्षम संस्थानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की खोज करता है। आईएवीए का मकसद भारत में इन मुद्दों पर साक्ष्य–आधारित बहस छेड़ना और वैश्विक नीतियों और कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान को आगे बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट को स्मॉल आर्म्स सर्वे का समर्थन प्राप्त है।

आईएवीए के विषय विवरण या इश्यू ब्रीफ सशस्त्र हिंसा से जुड़े मुख्य प्रसंगों पर जानकारियों की स्थिति का जायजा लेते हैं। स्मॉल आर्म्स सर्वे द्वारा कमीशन किए गए ये विषय विवरण संघर्ष और अपराध से जुड़ी हिंसा, अपराध करनेवालों और अपराध के शिकार लोगों के विषय में, किसी खास किस्म की हिंसा को रोकने और कम करने के लिए रणनीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार हैं। इन्हें तैयार करते हुए सशस्त्र हिंसा के पैमाने और रूपों तथा उसकी उग्रता, उसके कारण ों और जवाबी नीतियों के प्रभाव से जुड़े शोध पर ध्यान दिया जाता है, और ये शोध आंकड़ों पर आधारित होते हैं।

आईएवीए विषय विवरण अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। इन्हें www.smallarmssurveyindia.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी प्रिंट कॉपियां स्मॉल आर्म्स सर्वे से प्राप्त की जा सकती हैं।

क्रेडिट

क्रेडिट : तानिया इनॉलॉकी
प्रूफरीडर : जॉन लिनेगर
अनुवादक : अनु सिंह
डिजाईन एंड लेआउट : फ्रैंक बी जंगहैन्स

संपर्क का पता

सोनल मारवाह, आईएवीए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर :
sonal.marwah@smallarmssurvey.org
ऐरॉन कार्प,सीनियर कन्सलटेन्ट,स्मॉल आर्म्स सर्वे :
akarp@odu.edu

इंडियन आर्म्ड वायलेंस असेसमेंट
EP - 16/17, चंद्रगुप्त मार्ग चाणक्यपुरी
नई दिल्ली - 110021

स्मॉल आर्म्स सर्वे
47 एवेन्यू ब्लॉ 1202 जिनिवा स्विटजरलैंड
t +41 22 908 5777 **f** +41 22 732 2738

India
Armed Violence Assessment
A project of the Small Arms Survey

small arms survey